# मुरादाबाद मण्डल के उच्च शिक्षा संस्थाओं की छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृति का उनके व्यक्तित्व का अध्ययन

**सुमन सिंह[1], डॉ. लाजमीत कोर[2]**

[1]शोधार्थनी

[2]शोध निर्देशिका, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग

**Abstract (सार) :-**

**शिक्षा महिलाओं की सभी क्षेत्रों में प्रगति का एक मात्र आधार व साधन है। बिना के महिलाओं की प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए ही नही बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुतमहत्वपूर्ण हैए क्योंकि किसी सभ्य समाज के लिए प्राणहै। प्रस्तुत शोध पत्र मुरादाबाद मण्डल के उच्च शिक्षा संस्थाओं की छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है। वर्तमान परिदृष्य में जहां शिक्षा ने महिलाओं की उनके अस्तित्व का बोध कराया है वहीं दूसरी ओर उनके कार्यों एवं भूमिकाओं में भी परिवर्तन किया है जिससे उनमें सामाजिक गतिशीलता दृष्टिगत हो रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है दर्शाया गया है।**

**Keywords :- मुरादाबाद मंण्डल, महिला सशक्तिकरण अभिवृति व्यक्तित्व**

**प्रस्तावना :-** महिलाओं को व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधायें दी जायेंगी (लाल एवं शर्मा, 2010)। इसी क्रम में विष्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को लैंगिक समानता, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने, बालिका शिक्षा व जनसंख्या के पहलुओं के प्रति संवेदनशील होने के प्रति जागरूक होने आदि पहलुओं को शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं में सम्मिलित किए जाने काप्रावधान सुनिश्चित किया। साथ ही सामाजिक तथा शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के प्रावधान भी सुनिश्चित किये गये हैं (लक्ष्मी, 1992)। आजादी के बाद के 67 वर्षों में देश ने काफी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति की है। इस विकास में महिलाओं का योगदान किसी भी मायने में पुरूषों से कम नहीं रहा है। मगर महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार दिलाने का राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का सपना आज भी अधूरा है। समाज में अब भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। आज देश की आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है और ये महिलायें आज भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है (सुराना, 2015)। 1951 में जब स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कराई गई तब 1000 पुरूषों पर 946 महिलायें थीं, मगर 2011 की जनगणना में यह आँकड़ा सिर्फ 940 रह गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ राज्यों में तो स्थिति और भी खराब है जहाँ चण्डीगढ़ में 1000 पुरूषों पर 818 स्त्रियाँ, दिल्ली में 1000 पुरूषों पर 866 स्त्रियाँ, हरियाणा में 1000 पुरूषों पर 877 स्त्रियाँ, पंजाब व राजस्थान में 1000 पुरूषों पर 893 स्त्रियाँ तथा उत्तर प्रदेष में 1000 पुरूषों पर 908 स्त्रियाँ हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के कुछ आँकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं जिसके अनुसार देश में 5 वर्ष तक के बच्चों में 1000 लड़कों के सापेक्ष 918 लड़कियाँ हैं जिसे भविष्य की भयाभय स्थिति के रूप में देखा जा रहा है (कुमार, 2015)।

सबको बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देने का दावा करने वाले इस देश में लड़कियों को जन्म लेने से रोका जाना और उनके साथ ताउम्र भेदभाव एक बड़ी त्रासदी है। महिलाओं को कमतर आँकने की हमारी निम्न सोच की वजह से ही सरकार को समय–समय पर महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करना पड़ा जिनमें स्वयंसिद्धा (2001), स्वधारा(2001–02), स्वर्णिम योजना (2002), महिला समाख्या योजना (1989), आषायोजना (2005), बालिका समृद्धि योजना (1997), स्वषक्ति (1998), राष्ट्रीय पोशाहार मिशन (2001), जननी सुरक्षा योजना (2005), कस्तूरबा गाँधी

बालिका विद्यालय योजना (2004), वन्देमातरम् योजना (2004) आदि प्रमुख है (कुमार, 2007)। इतना ही नहीं भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों यथा – अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 39(क), अनुच्छेद 39 (घ), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51(क), अनुच्छेद 243 आदि के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गयी है। इन संवैधानिक प्रावधानों से महिलाओं को उचित स्थान तो मिला परन्तु सम्मानजनक व्यवहार की सोच आज भी दयनीय है (सिंह, 2015)। महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक प्रत्यय है। सम्पूर्ण विश्व में हुए महिलाओं के आन्दोलनों, बहसों, समालोचनाओं एवं गोश्ठियों के परिणामस्वरूप महिला सशक्तिकरण का सिद्धान्त उत्पन्न हुआ है। महिला सशक्तिकरण प्रत्यय के साधन के रूप में जो स्थिति सामने आयी है वह? लैटिन में 1970 में अमेरिका में पापुलर एजुकेशन के सिद्धान्त एवं महिलाओं के संगठन के बीच वार्ता के रूप में स्वीकार की गयी। सशक्तिकरण के प्रत्यय को सर्वप्रथम मोजर (1993) के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस तथ्य को स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति का अपने संसाधनों में कितना नियंत्रण है तथा इसके प्रमुख तत्वों में उद्देश्यों को निश्चित करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, क्रियान्वित करना तथा लैंगिक सशक्तता संरचना तथा आत्मविश्वास को सम्मिलित किया गया है (कबीर, 2001)। नेगी एवं कण्डारी (2012) ने इसे एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया माना है जो व्यक्ति को अपने समुदाय एवं समाज में अपने जीवन को नियंत्रित करने में सहायक होती है।महिला सशक्तिकरण को विकासशील एवं विकसित देषों में संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यय के रूप में स्वीकारा गया है। इसलिए अनेक राष्ट्र संतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सरकारी एवं गैरसरकारी तंत्र अपने विकास कार्यक्रमों में इस प्रत्यय की ओर संवेदनशीलता से ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आधी आबादी महिलाओं के विकास को नजरअंदाज कर राष्ट्रीय विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

**शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :-** उपरोक्त के क्रम में लैंगिक असमानता को दूर करना ही महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को विकसित करना है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया एक समाज से दूसरे समाज, एक समुदाय से दूसरे समुदाय, एक परिवार से दूसरे परिवार तथा ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र के संदर्भ में भिन्न हो सकती है लेकिन मूल में यह आवष्यक है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में उसकी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता, निर्णय प्रक्रिया में उसकी सहभागिता अन्ततः महिला के अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखना सम्मिलित है। महिलाओं में सशक्तता उनकी योग्यता का सदुपयोग तथा प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहभागिता की स्वीकार्यता है। इस संदर्भ में शिक्षा वह महत्वपूर्ण साधन है जो महिलाओं में ज्ञान, कौशल तथा आत्मविश्वास को विकसित कर विकास की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करती है। सामान्यतः शिक्षा, विषेष रूप से उच्च शिक्षा की भूमिका को इस प्रक्रिया में नकारा नहीं जा सकता है (रहेजा एवं कृष्णन, 2013; नायक, 2000)।

**शोध समस्या कथन :-** ''उच्च शिक्षा संस्थाओं की बी0 एड0 कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति की उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं वैयक्तित्व के सन्दर्भ में अध्ययन'' (मुरादावाद मंण्डल के संदर्भ में)

**शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरा :-** समस्या कथन में आये विभिन्न बिन्दुओं को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है।

**उच्च शिक्षा संस्थायें :-** उच्च का शाब्दिक अर्थ है–ऊँची, श्रेष्ठ। उच्च शिक्षा का सामान्य अर्थ है–ऊँची शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो सामान्य शिक्षा से ऊँचे स्तर की हो। उच्च शिक्षा का वास्तविक अर्थ है उच्च प्रतिभा के व्यक्तियों की उच्च षिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा समाज अथवा राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ तैयार किये जाते हैं (लाल एवं शर्मा, 2010)। उच्च शिक्षा संस्थाओं को परिभाषित करते हुए पॅवार (2002) ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा संस्थायें वे संस्थायें हैं जहाँ लोगों को मानवता के सम्मुख उपस्थित प्रमुख मुद्दे, जैसे– सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिकता आदि पर चिन्तन करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान व कौशलों द्वारा राष्ट्र विकास में योगदान करते हैं। प्रस्तुत शोध कार्य में उच्च शिक्षा संस्थाओं से तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्थापित विश्वविद्यालयों से है।

**महिला सशक्तिकरण :-** सशक्तिकरण का अभिप्राय शक्ति प्रदान करने, मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियों के सम्पादन की क्षमता प्रदान करने में विस्तार पाता है। वर्तमान में महिलाओं का स्वविकास उनके सशक्तिकरण की ओर इशारा करता है। वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें एक नया क्षितिज दिखाने का प्रयास है, जिसमें वे नई–नई क्षमताओं को प्राप्त करके स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू सम्बन्धों का बेहतर तरीके से समायोजन करेंगी और घर तथा पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति कर सकेंगी। महिला सशक्तिकरण का मुख्य पक्ष महिलाओं के अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उसकी स्वीकार्यता है। महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर, प्रजनन के क्षेत्र में, आय पर, श्रम शक्ति पर, सम्पत्ति पर, सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना उनका सरलीकरण है और यही सशक्तिकरण का उद्देश्य हैं।

**अभिवृत्ति :-** अभिवृत्ति एक सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू है। इसका सम्बन्ध सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के मानसिक पक्ष से होता है। अभिवृत्ति एक मानसिक तत्परता है, जिसका विकास धीरे–धीरे होता है। इसका संगठन व्यक्ति द्वारा अर्जित अनुभवों से होता है। अभिवृत्ति की कुछ परिभाषाऐं निम्न हैं। **रेमर्स, स्मेल एवं गेज के अनुसार,** ''अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवत्ति है, जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। ''थर्स्टन के अनुसार, ''कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से सम्बन्धित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी है।''

**व्यक्तित्व पृष्ठभूमि :-** प्रस्तुत शोध विषय के न्यादर्ष में सम्मिलित उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्राओं की वैयक्तित्व पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है। व्यक्तित्व पृष्ठभूमि के अध्ययन हेतु निम्न चरों को सम्मिलित किया गया है।

**पारिवारिक पृष्ठभूमि :-** प्रस्तुत शोध विषय के न्यादर्श में सम्मिलित उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्राओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन हेतु निम्न चरों को सम्मिलित किया गया है।

**अध्ययन के उद्देश्य :-** छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यकम में सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन करना।

**परिकल्पनायें :-** छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यकम में सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण

**शोध अध्ययन विधिः–** किसी भी शोध कार्य को वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण करने के लिए अनुसंधान की विधि की आवश्यकता होती है। अनुसन्धान विधि का निर्धारण समस्या के स्वरूप व प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए "वर्णनात्मक अनुसंधान" का एक प्रकार आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करना उचित लगेगा इसलिए शोधकर्त्री द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग इस अध्ययन में किया जायेगा।

**शोध अध्ययन की जनसंख्या :-** प्रस्तावित शोध अध्ययन में महात्मा ज्योतिवाफुले रूहेलखंण्ड विश्वविद्यालय, की उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं वैयक्तित्व के संदर्भ में अध्ययन में केवल महात्मा ज्योतिवाफुले रूहेलखंण्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्राओं में मात्र बी0एड0 कि राजकीय, अशासकीय एवं वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं को ही सम्मिलित किया जायेगा।

**शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :-** प्रस्तावित शोध अध्ययन की महत्ता शोध में प्रयुक्त उपकरणों पर निर्भर करती है। शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि उद्देश्यों के अनुरूप ही उपकरणों का प्रयोगकिया जाये। उपकरण की विश्वसनीयता एवं वैधता पर ही शोधकार्य की विश्वसनीयता, वैधता एवं महत्ता निर्भर करती है। प्रस्तावित शोधकार्य में शोधकर्त्री ने उद्देश्यों के अनुरूप उपकरणों की खोज की, अतः शोधकर्त्री ने शोध पर्यवेक्षक एवं शोध क्षेत्र के अन्य अनुभवी

विद्वानों से सम्पर्क किया तथा उनके परामर्श से व्यक्तित्व एवं पारिवारिक पृष्ठभूमिइन दोमानकीकृत उपकरणो के साथ अभिवृत्ति मापनी का स्वानिर्मित उपकरण उद्देश्यों की प्राप्ती मापने हेतु लगाया जायेगा।

**तालिका 4.1.7.1**

**छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यकम में सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण**

| उप तालिका | महिला सशक्तिकरण सम्बन्ध आयाम | छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यकम में सहभागिता | संख्या (N) | माध्य (M) | मानक विचलन (S.D.) | टी मान | सार्थकता स्तर (0.05) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | आत्मविश्वास | सहभागिता नहीं करने वाली | 1180 | 17.99 | 3.12 | 3.55 | सार्थक |
| | | सहभागिता करने वाली | 820 | 18.49 | 2.99 | | |
| (ii) | लिंग–भेद की जानकारी | सहभागिता नहीं करने वाली | 1180 | 32.26 | 2.70 | 2.45 | सार्थक |
| | | सहभागिता करने वाली | 820 | 32.55 | 2.51 | | |
| (iii) | स्वास्थ्य जागरूकता | सहभागिता नहीं करने वाली | 1180 | 26.63 | 2.80 | 4.92 | सार्थक |
| | | सहभागिता करने वाली | 820 | 27.24 | 2.62 | | |
| (iv) | परिवार नियोजन की जानकारी | सहभागिता नहीं करने वाली | 1180 | 21.39 | 2.78 | 1.94 | सार्थक नहीं |
| | | सहभागिता करने वाली | 820 | 21.58 | 2.70 | | |
| (v) | राजनीति जागरूकता | सहभागिता नहीं करने वाली | 1180 | 26.51 | 2.86 | 2.41 | सार्थक |
| | | सहभागिता करने वाली | 820 | 26.81 | 2.02 | | |
| (vi) | कानूनी अधिकार की जानकारी | सहभागिता नहीं करने वाली | 1180 | 32.28 | 2.86 | 4.07 | सार्थक |
| | | सहभागिता करने वाली | 820 | 32.79 | 2.66 | | |

इस तुलना से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में आत्मविश्वास के प्रति अभिवृत्ति कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है। उपतालिका (ii) में दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य लिंगभेद के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं का माध्य 32.26 तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं का माध्य 32.55 है। दोनों समूहों के माध्यों के मध्य आगणित 'टी' मान 2.45 प्राप्त हुआ है जो कि 1998 स्वतंत्रता अंश एवं 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है। तुलना से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में लिंग–भेद के प्रति अभिवृत्ति प्रतिभाग नही करने वाली छात्राओं की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है। उपतालिका (iii) में दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य जागरूकता का माध्य 26.63 जबकि प्रतिभाग करने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य जागरूकता का माध्य 27.24 है। दोनों समूहों के माध्यों के मध्य तुलना हेतु श्टीश मान की गणना की गयी जिसका मान 4.92 प्राप्त हुआ जो कि 1998 स्वतंत्रता अंश एवं 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है। तुलना से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति अभिवृत्ति प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है। उपतालिका (iv) में दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य परिवार नियोजन के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं के परिवार नियोजन के प्रति अभिवृत्ति का माध्य 21.39 तथा प्रतिभाग करने वाली छात्राओं का माध्य 21.58 है। दोनों समूहों के माध्यों के मध्य तुलना हेतु श्टीश मान की गणना की गयी जिसका 1.94 प्राप्त हुआ है जो कि 1998 स्वतंत्रता अंश एवं 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया है। उपतालिका (v) में उक्त दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य राजनीतिक जागरूकता के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं के राजनीतिक जागरूकता के प्रति अभिवृत्ति का माध्य 26.51 तथा प्रतिभाग करने वाली छात्राओं का माध्य 26.81 है। दोनों माध्यों के मध्य तुलना हेतु श्टी मान की गणना की गयी जिसका मान 2.41 प्राप्त हुआ है जो कि 1998 स्वतंत्रता अंश एवं 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है। प्राप्त परिणाम से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में राजनीतिक जागरूकता के प्रति अभिवृत्ति प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है। उपतालिका (vi) में दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य कानूनी अधिकारों की जानकारी के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करने पर पाया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं के कानूनी अधिकार की जानकारी के प्रति अभिवृत्ति का माध्य 3228 है जबकि प्रतिभाग करने वाली छात्राओं के कानूनी अधिकार की जानकारी का माध्य 32.79 है। दोनों समूहों के माध्यों के मध्य तुलना हेतु ष्टी मान की गणना की गयी जिसका मान 4.07 प्राप्त हुआ है जो कि 1998 स्वतंत्रता अंश एवं 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है। इस तुलना से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में कानूनी अधिकार की जानकारी के प्रति अभिवृत्ति प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं की तुलना में अधिक सकारात्मक है।

**निष्कर्ष :-** तालिका 4.1.7.1 में की गयी तुलनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करने वाली छात्राओं के मध्य आत्मविश्वास, लिंग–भेद, स्वास्थ्य जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है तथा छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता की स्थिति महिला सशक्तिकरण के इन विभिन्न आयामों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक प्रभाव डालती है तुलना के दौरान यह भी पाया गया कि छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता का उनके परिवार नियोजन की जानकारी के प्रति अभिवृत्ति के सन्दर्भ में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. आनन्द, ममता (2010), 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005', ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0–33.
2. अग्रवाल, जे0सी0 (1998), 'भारत में नारी शिक्षा', विद्या विहार, नई दिल्ली।
3. अहमद, डॉ0 शकील (2014), 'अनुसूचित जातीय महिला नेतृत्व की राजनीतिक अभिरूचि एवं सजगता', राधा कमल मुखर्जी : चिन्तर परम्परा (नेशनल जनरल ऑफ सोषल साइन्स, ISSN 0974.0074), समाज विज्ञान संस्थान, बरेली (उ0प्र0), वर्ष 16, अंक 2.
4. अली, अनवर (1996), 'लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या पहलू', इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन फॉर आल, EFA.9, II .
5. अस्थाना, विपिन एवं विजया श्रीवास्तव व कु0 निधि अस्थाना (2012), 'शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृ0–534–36, 703–04.
6. अस्थाना, डॉ0 विपिन एवं श्वेता अस्थाना (2010), 'मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2, पृ0–473–74.
7. बर्ता, ऐस्टेव वोलार्ट (2004), 'लैंगिक भेदभाव और विकास', लंदन, लंदन स्कूल अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान।
8. भाग्यलक्ष्मी, जे0 (2005), 'महिला अधिकारिता : बहुत कुछ करना शेष', योजना, वर्ष 48, अंक 5, पृ0–26. 228
9. भारती, रीना (2006), 'स्त्री स्वाधीनता में बाधक तत्व', राष्ट्रीय संगोष्ठी महिला सशक्तिकरण, समाजशास्त्र विभाग, नानकचन्द एंग्लो सस्ंस्कृत (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ (उ0प्र0)।
10. भटनागर, सुरेश (2009), 'आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें', आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ (उ0प्र0), पृ0–173.
11. चन्द्रपाल (2005), 'महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्ष–5, अंक–4, पृ0–25.
12. चौबे, झारखण्डे (2010), 'इतिहास–दर्षन', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी (उ0प्र0), पृ0–222.
13. छापड़िया, डॉ0 मनोज (2008), 'स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिषीलता', सीरियल्स पब्लिकेशन, पृ0–29.
14. देवपुरा, प्रतापमल (2005), 'महिला सशक्तिकरण', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पृ0–22.
15. द्विवेदी, प्रियंका (2007), 'महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियाँ', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0–38.
16. दीक्षित, सोना एवं अरूण कुमार दीक्षित (2005), 'महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पृ0–10.
17. गुप्ता, कमलेश कुमार (2005), 'भारतीय महिलायें शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार', बुक इनक्लेव, जयपुर, पृ0–24, 307.
18. हन्फी, एस0ए0 एवं डॉ0 अनीता बरौलिया (2009), 'प्रगत् शिक्षा मनोविज्ञान', राधा प्रकाषन मन्दिर, आगरा, (उ0प्र0) पृ0–179.
19. जोशी, अनिता (2006), 'गैर सरकारी संगठनों की शैक्षिक विकास में भूमिका का सर्वेक्षण एवं महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन', पीएच0डी0 शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, पृ0 20–25. 229
20. जोशी, ज्योति (2014), 'महिला सशक्तिकरण–नैनीताल जनपद के हल्द्वानी क्षेत्र के संदर्भ में', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा (नेशनल जनरल ऑफ सोशल साइन्स, ISSN 0974.0074) समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली (उ0प्र0), वर्ष 16, अंक 2, पृ0–146.